संख्या-3/2022/आई/156823/2022/82/001-21-9002-001-2-2021-1-9

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी
विभूति खण्ड,गोमती नगर,
लखनऊ।

भाषा (उर्दू) अनुभाग-1 लखनऊःदिनांक 18 अप्रैल 2022

विषयः फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों,मानदेय इत्यादि हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधानित अनुदान के सापेक्ष प्रथम चार माह (अप्रैल से जुलाई 2022 तक) के लिये स्वीकृत लेखानुदान के अंतर्गत प्रथम किस्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वीकृत लेखानुदान के अंतर्गत श्री राज्यपाल महोदय, फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों,मानदेय इत्यादि के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 में प्राविधानित अनुदान रू० 68.60 (रूपये अडसठ लाख साठ हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम चार माह (अप्रैल से जुलाई 2022 तक) के लिये रू० 22.86 लाख (रूपये बाईस लाख छियासी हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित नियम व शर्तो प्रतिबन्धों तथा दिशा निर्देशों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धो

1- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल वेतन,भत्ता व मानदेय इत्यादि के अतिरिक्त किसी भी नयी मदों,सेवाओं तथा योजनाओं पर व्यय न किया जाये तथा अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र दिनांक 30 अगस्त ,2022 तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

2- स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित नहीं की जायेगी बल्कि आवश्यकतानुसार व्यय की सीमा तक कोषागार से आहरित की जायेगी और नियमानुसार ही सक्षम अधिकारी की अनुमति से व्यय की जायेगी तथा बिल आहरण एवं वितरण अधिकारी,भाषा विभाग,उ०प्र० शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उपर्युक्त अनुदान पर वही नियम लागू होगे जो वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16-ए में दिये गये है। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सँख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022 दिनांक 30 दिसम्बर,2021में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। उक्त के अतिरिक्त स्थायी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों तथा बजट मैनुअल का पालन भी सुनिश्चित किया जाये।

4- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि में होने वाले व्यय रुपये 22.86 लाख (रूपये बाईस लाख छियासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक **अनुदान सँख्या**-039 के **लेखा शीर्षक**-2202051020700-स्व.फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल समिति को अनुदान **मानक मद** 31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5- ये आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 15/2021/बी-1-829/दस-2021- 231/2022 दिनांक-30 दिसम्बर,2021 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्राविधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव।

सख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वित्तीय ,उ०प्र० प्रयागराज।

2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वित्तीय,उ०प्र० प्रयागराज।

3- निदेशक,स्थानीय निधि लेखा परीक्षा,उ०प्र० प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल के लेखों का सम्परीक्षण प्रतिवेदन शासन को यथासमय भेजने का कष्ट करें।

4- कोषाधिकारी,कलेक्ट्रेट ,लखनऊ।

5- आहरण एवं वितरण अधिकारी,भाषा विभाग,उ०प्र० शासन।

6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी,उ०प्र० हिन्दी संस्थान,लखनऊ।

7- वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-7/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1

8 -भाषा उर्दू अनुभाग-4

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
हरि बख्श सिंह
उपसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in